



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052024-254459
CG-DL-E-30052024-254459

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 30, 2024/ज्येष्ठ 9, 1946

No. 276]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 30, 2024/JYAISHTHA 9, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2024

सं. 11/2024-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 297(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, सं. 02/2017 केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 609 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के सारणी 2 में, -

(i) क्र.सं. 7 पर स्तंभ (3) में, शब्दों "नीम का थाना और झुंझुनु जिले तथा कोटपूतली- बेहरोड जिले की बहरोड,

बानसुर, नीमराणा, मांडण और नारायणपुर तहसीलें" के स्थान पर " नीम का थाना, झुंझुनु तथा कोटपूतली-बेहरोड जिले " शब्दों को रखा जाएगा;

- (ii) क्र.सं. 49 पर स्तंभ (3) में, " तथा कोटपूतली- बेहरोड जिले की कोटपूतली, विराटनगर और शाहपुरा तहसीलें" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. सीबीआईसी-20016/18/2023-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. 02/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 609(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 10/2024-केन्द्रीय कर, तारीख 29 मई, 2024 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 296(अ), तारीख 29 मई, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2024

No. 11/2024-Central Tax

G.S.R. 297 (E).—In exercise of the powers conferred under section 3 read with section 5 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and section 3 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 02/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 609(E), dated the 19th June, 2017, namely: -

In the said notification, in Table II, -

(i) at serial number 7, under column (3), for the the words “Neem ka Thana and Jhunjhunu and Behror, Bansur, Neemrana, Mandan and Narayanpur tehsils of district”, the words “Neem ka Thana, Jhunjunu and” shall be substituted;

(ii) at serial number 49, under column (3), the words “and Kotputli, Viratnagar and Shahpura tehsils of district Kotputli-Behror” shall be omitted.

[F. No. CBIC-20016/18/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

Note:- The principal notification No. 02/2017- Central Tax, dated the 19th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 609(E), dated the 19th June, 2017 and was last amended *vide* Notification No. 10/2024-Central Tax, dated the 29th May, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 296(E), dated the 29th May, 2024.